IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 10, Issue 4, July-August 2023

Impact Factor: 6.421

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi cross ref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 4, July - August 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1004025

भारत में पंचायती राज का स्वरूप, संवैधानिक प्रावधान एवं क्रियान्वयन

Hanuman Ram Suthar

Net in Political Science, Nimbala (Kharawala) Tehsil- Chohtan, Barmer, Rajasthan, India

शोध सारांश: पंचायती राज की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। पूरे देश की जनता विशेष रूप से ग्रामीण जन किसी न किसी रूप में पंचायत प्रणाली की जानकारी तथा अनुभव रखते हैं। पंचायती राज उस लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी जड़े आम लोगों में मौजूद है। भारत जैसे देश में जहाँ 65 प्रतिशत से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, वहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का महत्व स्वतः सिद्ध तथा सर्वथा असंदिग्ध है। भारत का अति विस्तृत एवं ग्रामीण परिवेश, आपूरित भू-भाग, कल्याणकारी सरकार के अति विस्तृत कार्य एवं दायित्व, स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता एवं कटिबद्धता आदि वे महत्वपूर्ण प्रशासनिक आयाम हैं जो पंचायती राज को अति महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। पंचायती राजसंस्थाएँ राजनीतिक वैधता की प्रक्रिया में मौलिक भूमिका निभाती हैं तथा लोगों में भागीदारी की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।

21वीं सदी में विश्व का विशालतम लोकतंत्रात्मक राष्ट्र भारत समृद्ध समुन्नत तथा जनापेक्षानुकूल प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूलाधार पंचायती राज व्यवस्था के सशक्त प्रहरी के रूप विश्व में अपनी पहचान कायम कर सके तथा यथार्थ के धरातल पर आम जनस्वायत्ता व स्वशासन की संवाहक इन संस्थाओं के माध्यम से विकास, कल्याण व निर्णयन एवं सत्ता में अपनी भागीदारी के प्रति सुनिश्चित एवं संतुष्ट हो सके।

I. प्रस्तावना

इस हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र समग्र जन की सत्ता में भागीदारी तथा सम्पूर्ण भारत के संतुलित व तीव्र विकास हेतु पंचायतीराज व्यवस्था स्वीकार्य व व्यवहार में लाने को भारतीय राजनय संकल्प बद्ध हो गया और उस संकल्पबद्धता की परिणिती 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रारूप की शुरूआत से हुई और विकास व परिवर्तन के अनेक पड़ावों से गुजरती 73वें भारतीय संविधान संशोधन में परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार के 23 अप्रैल, 1994 के नवीन संशोधित पंचायतीराज अधिनियम की क्रियान्विती तक अद्यतन यह यात्रा जारी है।

पंचायत शब्द की उपत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन्' से हुई है, जिसका अर्थ है, 'पाँच व्यक्तियों का समूह'। भारत में पंच परमेश्वर की अवधारणा बहुत पुरानी है। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था स्वतन्त्रता के पश्चात ही दृष्टिगोचर हुआ, लेकिन इसकी परिकल्पना को स्वतन्त्र भारत की उपज कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा आज की बात नहीं, अपितु इसका इतिहास वैदिक काल से भी पूर्व का है। सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद पंचायती राज, ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की स्थापना का प्रयास वास्तविक रूपों में सजीव एवं साकार प्रयास था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी के ग्राम स्वराज्य की उपयोगिता के स्वप्न को साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान मे अनुच्छेद 40 को सम्मिलित किया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकल्प तैयार किये गये।

2 अक्टूबर, 1952 को नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के तत्वाधान में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' का आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन विकास खण्ड को इकाई मानकर ब्लॉक में विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया से जोडने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और विफल हो गया। 2 अक्टूबर, 1953 को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, किन्तु वह भी असफल सिद्ध हुआ।

पंचायतों से सम्बन्धित गठित समितियाँ :-स्वतंत्रता के बाद पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं-

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 4, July - August 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1004025

II. बलवन्तराय मेहता समिति

भारत के ग्रामीण विकास की दिशा में चल रहे विकास कार्यक्रम की गति को तीव्र करने, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने तथा स्थानीय प्रशासन की महत्ता को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए जनवरी 1957 में बलवन्तराय मेहता समिति गठित की गई। इसमें प्रान्त से नीचे स्तर पर अधिकारों एवं दायित्वों के विकेन्द्रकरण होने की अत्यन्त आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही कहा कि प्रान्त से निचले स्तर की सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाए, जो अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हो और सरकार का कार्य मात्र उसका मार्गदर्शन, उच्चस्तर की योजना बनाने एवं आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराना हो। भारत सरकार द्वारा समिति की उक्त सिफारिशों को स्वीकार किया गया और इन संस्थाओं का नामकरण पंचायती राज किया गया। आज के पंचायती राज का अधिकांश स्वरूप बलवन्तराय मेहता समिति की तत्कालीन रिपोर्ट पर ही आधारित है।

इसके बाद पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई। 2 सितम्बर, 1959 को राजस्थान विधानमण्डल ने सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इसके क्रियान्वयन में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। पंचायती राज के क्रम में 11 अक्टूबर, 1959 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था का सूत्रपात आन्ध्र प्रदेश में किया। आन्ध्र प्रदेश में यह प्रणाली 'त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली' के रूप में थी। इसके बाद सन् 1960 में पंचायती राज असम, कर्नाटक में, सन् 1962 में महाराष्ट्र में, 1964 में पश्चिम बंगाल में और इसके बाद अन्य दूसरे राज्यों में प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे मेघालय, नागालैण्ड, लक्षदीप व मिजोरम को छोडकर सम्पूर्ण भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों मे पंचायती राज अस्तित्व में आ गया।

III. अशोक मेहता समिति

सन् 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने भारत में पंचायती राज का मूल्यांकन करने के लिए 12 सितम्बर, 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त, 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को प्रस्तुत की। जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से कुल 132 सिफारिशें थी। उनमें मुख्य सिफारिशें निम्न थीं-

1. मुख्य पंचायतें - अशोक मेहता समिति ने 'मंडल पंचायतों' की स्थापना के सुझाव प्रस्तावित किए, जिसमें 10-15 गाँव शामिल हों एवं उनकी कुल आबादी 15,000 से 20,000 हो।
2. जिला स्तर पर योजना सेल - जिला स्तर पर एक 'योजना सेल' हो जिसमें एक मानचित्रकार या नक्शानवीस, कृषि वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद्, भूगोलवेत्ता एवं ऋणयोजना अधिकारी होना चाहिए।
3. योजना सेल का पर्यवेक्षण - योजना सेल जिला परिषदों के अन्तर्गत हो तथा इसका पर्यवेक्षण एक मुख्य अधिकारी के द्वारा होना चाहिए।
4. कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन - जिला परिषदों का कार्य विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों की योजना तैयार करना हो और विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मण्डल पंचायतों द्वारा तय होना चाहिए।
5. चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से - पंचायती राज के विभिन्न निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से हो एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पर होना चाहिए।

जे. के. वी. राव समिति, 1985 :- व्यावहारिक रूप में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन को लागू नहीं किया जा सका और वह मात्र अकादमिक महत्व बनकर रह गया। सन् 1985 में ग्राम विकास के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए, कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो आगे चलकर 'राव समिति' के नाम से चर्चित हुई। इस समिति ने पंचायती राज की समीक्षा की और अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि ग्राम विकास कार्यक्रम पंचायती राज निकाय के सक्रिय क्षेत्रों में पूर्णतः सफल एवं श्रेष्ठतम् रहा है। 'राव समिति' ने चतुर्थ-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करने की सिफारिश पेश की। इस चतुर्थ-स्तरीय प्रणाली में राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, मण्डल पंचायत और ग्रामसभा के स्वरूप को विकसित करने का सुझाव दिया गया। यद्यपि पंचायती राज की दृष्टि से राव समिति की उपर्युक्त सिफारिशें थीं, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो सकीं।

एल. एम. सिंघवी समिति, 1986 :- पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा एवं उसमें सुधार के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए सन् 1986 में एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न थीं –

1. पंचायती राज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि इन्हें राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप से दूर रखा जा सके।
2. ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 4, July - August 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1004025

पी. के. थुंगन समिति, 1988 :- सन् 1988 में पी. के. थुंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की उपसमिति गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए अनेक सिफारिशें कीं, जिनमें एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

64वाँ संशोधन विधेयक :- मई 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने पंचायतों से सम्बन्धित 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक सभा में पारित हो गया, लेकिन राज्य सभा में पारित नहीं हो सका।

73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 :- 22 दिसम्बर, 1992 को लोक सभा तथा 23 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। 24 अप्रेल, 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम बना। अधिनियम बनने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों को अपने पंचायती राज अधिनियमों में इस संशोधन को ध्यान में रखकर बदलना था, परन्तु राज्य सरकारों ने अपनी पंचायती अधिनियमों को अन्तिम समय सीमा में पारित किया। 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संविधान के नौवें भाग में शामिल कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

IV. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएँ

1. ग्राम सभा का गठन - पंचायत व्यवस्था के तहत् एक ग्राम सभा होगी, जो पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होगी। ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उपबन्धित करेगा।
2. पंचायतों का गठन - प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा, परन्तु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से कम है।
3. पंचायतों की संरचना - पंचायत के तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन अध्यक्ष पदो के लिए निचले स्तर अर्थात् ग्राम पंचायत को छोडकर मध्य एवं जिला स्तर पर चुनाव चुने सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई विधि के अनुसार होगा।
4. स्थानों का आरक्षण - पंचायतों के तीनों स्तरों मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा इनमें एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं का भी होगा।
5. पंचायतों की अवधि - पंचायतों के सभी स्तरों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, लेकिन इससे पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन छः मास के अन्दर चुनाव कराना किसी पंचायत को यदि उसकी अवधि पूर्व विघटित कर नई पंचायत का गठन किया जाता है, तो वह केवल शेष अवधि तक का कार्य करेगी।
6. राज्य निर्वाचन आयेग का गठन - पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का निदेशन और नियंत्रण के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा।
7. राज्य वित आयोग का गठन - प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो -

- राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच जो उनमें विभाजित किए जाएं, सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी आवंटन को।
- ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेगी।
- राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में।
- पंचायतों के सुदृढ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

8. पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व - राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायती संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध कर सकता है जैसे -

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं। जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करना।

सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण की शक्ति भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था स्वतन्त्रता के पश्चात ही दृष्टिगोचर हुआ, लेकिन इसकी परिकल्पना को स्वतन्त्र भारत की उपज कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा आज की बात नहीं, अपितु इसका इतिहास वैदिक काल से भी पूर्व का है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 4, July - August 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1004025

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में पंचायती राज की आधारशिला रखने में महात्मा गांधीजी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आधारभूत लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में पंचायती राज की नींव रखी। उन्होंने स्वच्छता एवं साफ-सफाई को गांधीवादी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग बताया था। सभी के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता उनका सपना था। वे मानते थे कि भारत शहरों में नहीं गावों में बसता है। महात्मा गांधी के इस विचार को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान देकर त्रिस्तरीय पंचायती राज को मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देकर इसे और सशक्त बनाया गया। पंचायतों के कार्यों से सम्बन्धित 11वीं अनुसूची बनाई गयी जिसमें 29 विशय है। यथार्थ में इन सभी 29 विशयों का मूल आधार सफाई एवं स्वच्छता ही है।

महात्मा गांधी प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाकर समानता पर आधारित ऐसे राष्ट्र के निर्माण के पक्षधर थे जिसमें अमीरी-गरीबी, जाति, वर्ग, धर्म से सम्बन्धित भेदभाव या विषमताओं को कोई स्थान नहीं था। गांधीजी अक्सर कहा करते थे कि भारत शहरों में नहीं गाँवों मे बसता है। सच्चे मायने में आज भी भारत की अधिकांश जनता गाँवों में ही निवास करती है। भारत की खुशहाली के लिए गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामवाद, ग्रामीण स्वराज, औद्योगिक विकेन्द्रकरण, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा, सामाजिक सरसता, सर्वोदय एवं सहकारिता जैसे कार्यो का शुभारम्भ किया गया। महात्मा गांधी ने ग्राम को एक इकाई मानकर कार्य करने पर पुरजोर बल दिया। वे भारत के विकास की योजना को सर्वप्रथम ग्रामीण स्तर से आरम्भ करने के पक्षधर थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही नहीं, अपितु आज भी ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में उनके विचारों की सार्थकता यथावत् विद्यमान है।

अपनी अनेक कमियों और दुर्बलताओं के वावजूद पंचायती राज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। अशिक्षित जनता, जातिगत और धर्मगत अन्धविश्वास, परम्परागत अलोकतान्त्रिक, सामाजिक और पारिवारिक ढाँचे, परिपक्व राजनीतिक प्रबुद्धता की कमी आदि के कारण पंचायती राज की उपलब्धियों का कम अंकन करने तथा पंचायती राज की आलोचना करने की एक सामान्य प्रवृत्ति विकसित हो गई है। पंचायती राज व्यवस्था ने देश के राजनीतिकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके कार्यकलापों ने ग्राम्य जीवन में एक नया जागरण पैदा कर गाँव वालों को शोषित होने से बचाया है। वोट की कीमत समझी जाने लगी है, ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकृत संख्याएँ स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित हो रही है, ग्रामीण नेतृत्व पनपता जा रहा है, गाँवों की अवहेलना करना आसान कार्य नहीं रह गया है।

गाँवों के पिछड़े वर्गों में चेतना द्वारा गाँवों की स्विय भी राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगी है। राजनीतिक जागृति के साथ सामाजिक चेतना बढ़ी है, छुआछूत और भेदभाव की दीवारों को पंचायती राज ने जबरदस्त धक्का पहुँचाया है। मजदूर और नौकर कहा जाने वाला व्यक्ति अब पंचायत या पंचायत समिति की अध्यक्षता करता है और बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ बैठता है। गाँवों का जागरण राज्य के स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम हुआ है। जातिगत, धर्मगत और अन्य हित स्थानीय दबाव समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। दबाव समूह की राजनीति अब नगरों की बपौती नहीं रह गई है।

ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। गाँव वालों में आत्म-विश्वास की भावना जागृत हुई है और उनमें स्थिति सुधारने के लिए भाग्य भरोसे न बैठकर, कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति पनपी है। पंचायती राज ने गाँवों में कुछ सीमा तक साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, संकीर्णता, मन-मुटाव आदि को बढ़ावा दिया है, लेकिन इनकी तुलना में पंचायती राज के लाभ बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। गाँवों में 'आशाओं की क्रान्ति' पैदा हुई है जिसे दबाया नहीं जा सकता है अतः सरकार गाँवों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के प्रति अब निश्चेष्ट कभी नहीं रह सकती। आज ग्रामीण जन खण्ड विकास अधिकारी के पास जाकर विश्वास के साथ उससे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। भारतीय सन्दर्भ में पंचायती राज से यह एक मूल्यवान लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि यहाँ शताब्दियों से राजकीय शक्ति जन-साधारण के लिए भय का विषय रही है। पंचायती राज का प्रारम्भ जनता में आत्म-सहायता की भावना पैदा करने, विकास कार्यक्रमों में जनता को भाग लेने का अवसर प्रदान करने तथा उनमें लाकतान्त्रिक विचारों का प्रसार करने हेतु किया गया था।

V. निष्कर्ष

यदि पंचायती राज के लाभ एवं हानियों की एक सूची तैयार की जाए तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसका श्रेष्ठतम लाभ जन-जागरण में आत्म- महत्व की अनुभूति को उत्पन्न करना रहा है। पंचायती राज के परीक्षण की सफलता हमारी जागरूकता तथा समस्याओं का साहस एवं उत्साह से सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी। प्रारम्भिक चरणों में पंचायती राज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकारियों के महत्त्वपूर्ण परामर्श तथा निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है।

अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल स्वयं को बदलना है, किन्तु इन संस्थाओं को वे कार्य नहीं सौंपने चाहिए जो वे कर नहीं सकतीं। उनको केवल वे ही दायित्व सौंपे जाने चाहिए जिनको वे सफलता से निभा सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को इन संस्थाओं पर उचित नियन्त्रण रखना चाहिए तथा उनकी देखरेख करनी चाहिए। भविष्य में आशा तथा ग्रामीण

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 4, July - August 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1004025

जनता की योग्यता में विश्वास इस परीक्षण को सफल बना सकते हैं। जैसाकि बलवन्त राय मेहता ने कहा है- "ग्रामीण भारत की जनता अनपढ़ बेशक है, किन्तु वह एक महान् पैतृक सम्पत्ति तथा एक महान् संस्कृति की स्वामी है जो समय आने पर यह निश्चित रूप से अपने वास्तविक रूप में आएगी। यदि हमें पंचायती राज संस्थाओं, अपने ग्रामीणजनों तथा उनके अपने छिपे हुए गुणों का उपयोग करने की क्षमता में विश्वास है तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ लगेगी। आज पंचायती राज में बहुत से दोष परिलक्षित होते हैं, परन्तु यह भविष्य की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है।"

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. खन्ना, आर. एल., पंचायतीराज इन इण्डिया ए कम्पेरेटिव स्टैडी, चंडीगढ़, 2019, पृ. 72.
2. एस.पी. जैन एण्ड थॉमस डब्ल्यू. हॉचसेंग, इमर्जिंग ट्रेंडस न पंचायतीराज (रूरल लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट) इन इण्डिया (सम्पादित) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट, हैदराबाद, 2019, पृ. 213.
3. कुमार प्रदीप, स्टडीज इन इण्डियन फेडरलिज्म, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 1990, पृ. 23.
4. भट्टाचार्य, मोहित, गवर्निंग रुरल इण्डिया, नई दिल्ली, 1991, पृ. 117.
5. कौशिक, सुशीला (सं.), भारतीय शासन एवं राजनीति, दिल्ली, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990, पृ. 130.
6. तिवारी, एच. के. एवं सक्सेना, एच.एम., राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1994, पृ. 4.
7. राजस्थान पंचायती राज का नवीन स्वरूप, जयपुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, 2022.

पत्र-पत्रिकाएँ

1. प्रतियोगिता दर्पण
2. सिविल सर्विसेज टाइम्स
3. क्रॉनिकल
4. योजना
5. कुरूक्षेत्र

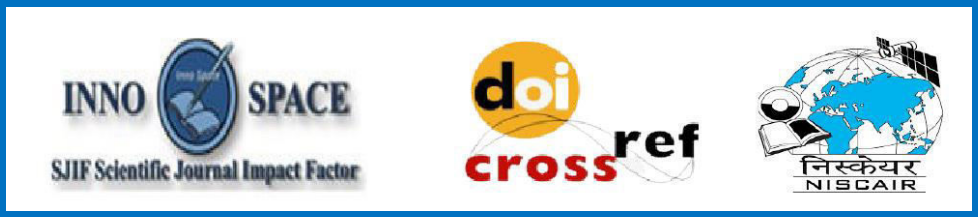

IJARETY

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com